## कार्यालय – प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उज्जैन(म०प्र०)

<u> / / परिपत्र</u> / /

-3 MAR 2025

क्रमांक-150/ दो-12-1 / 2004 (फा.65)

उज्जैन, दिनांक.....मार्च. 2025

माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर के ज्ञापन कमांक-सी / 1805 /दो-15-2/16, दिनांक 01.03.2025 अनुसार माननीय उच्च न्यायालय द्वारा न्यायालय की कार्यप्रणाली का पता लगाने के लिए किए गए औचक निरीक्षण के दौरान यह पाया गया हैं कि कई न्यायिक अधिकारी समय पर अपने डायस/चेम्बर में बैठे नही पाए गए, इसके अलावा उनमें से कुछ तो न्यायालयीन कार्य समय के दौरान न्यायालय परिसर में भी नही पाए गए। न्यायिक अधिकारियों की उक्त कार्यवाही अत्यधिक अस्वीकार्य है और इसे गंभीर कदाचरण के रूप में देखा जाता हैं।

अतः समस्त न्यायिक अधिकारीगण को निर्देशित किया जाता हैं कि आप न्यायालयीन कार्य समय के दौरान नियमानुसार निर्धारित न्यायालय समय का सावधानीपूर्वक पालन करते हुए समय पर डायस / चेम्बर में बैठना सुनिश्चित करें और सत्र के दौरान समय की पाबंदी तथा अनुशासन का भी पालन करें।

उक्त आदेश का कडाई से पालन किया जावें।

संलग्न :- माननीय उच्च न्यायालय के उपरोक्त ज्ञापन की छायाप्रति।

्राजेश कुमार गुप्ता) प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उज्जैन (म.प्र.)

5199 पृष्ठां. क्रमांक— /दो—12—1/2004 (फा.65) उज्जैन, दिनांक......मार्च, 2025 प्रतिलिपि -

-3 MAR 2025

- समस्त न्यायिक अधिकारीगण, प्रधान जिला न्यायालय, उज्जैन (मुख्यालय एवं 1. तहसील स्थापनाओं सहित) ।
- श्रीमती कृतिका अष्ठाना, जे०एस०ए०, कम्प्यूटर अनुविभाग, उज्जैन की ओर 2 प्रेषित कर निर्देशित किया जाता हैं कि उपरोक्त परिपत्र की प्रति समस्त न्यायिक अधिकारीगण के ई-मेल आई.डी. एवं व्हाट्स-अप पर प्रेषित करें।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उज्जैन (म.प्र.)

## HIGH COURT OF MADHYA PRADESH: JABALPUR

No.

C|1805

To,

The Principal District and Sessions Judges,

All in the State.

Subject-

Regarding **not** adhering to Court timings and observing punctuality by the Judicial Officer(s).

During the surprise visits to ascertain Court functioning, it has been observed that many of the Judicial Officer(s) were not found sitting on their dais on time, further more some of them were also not even found in the Court Premises during the Court working hours, the above action of the Judicial Officers is highly unacceptable and is viewed as serious misconduct.

You are requested to direct all the Judicial Officer(s) within your district under your control and jurisdiction that they must adhere to the Court timings prescribed by the rules meticulously and also observe the punctuality and discipline during the Session.

The deviation from the above directions will be viewed seriously and will also be the base for initiating suitable action against the concerned Judicial Officer(s).

DHARMINDER SINGH REGISTRAR GENERAL

C1 c0100